निमित्त,
महानिदेशक युविलास, निदेशक, कानपुर - यवथा राजस्थान जयपुर।

विषय : पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 ड्रूटी हेतु जापा भिजवाने बाबत।

संदर्भ : आपका पत्रांक क्रमांक व-15 ( ) कानपुर - यवथा / 2019/307 दिनांक 31.12.2019 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 6 ( ) 2018/ कार्मिक / प्रमुखसं / 8371 दिनांक 13.01.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार संदर्भक पत्रों के क्रम में एवं आपसे हुई दूरभाष वार्ताओं के क्रम में निर्देश ने अनुसार निम्नलिखित पत्र हेतु चुनाव आयोग के पत्र क्रमांक 437-6/98 - रैली-एल.पा दिनांक 30.01.1998 द्वारा वन्यजीव सेन्ट्रल, राष्ट्रीय अभयारण्य एवं राष्ट्रीय गंग पार्क, वन्यजीव अभयारण्य एवं वाण परियोजना क्षेत्रों में वन्य जीवों की सुरक्षा की प्राथमिकता के महत्व नजर रखते हुए चुनाव ड्रूटी से वाहन एवं फील्ड स्टाफ को मुक्त रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

वन्यजीव क्षेत्रों में अवधि शिकार एवं मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम हेतु पहले से ही राज्य कर्तव्यक बनाने का अधिकार है। महाराजा सरकार चुनाव आयोग के पत्र क्रमांक 437-6/98 - रैली-एल.पा दिनांक 30.01.1998 द्वारा वन्यजीव सेन्ट्रल, राष्ट्रीय अभयारण्य एवं राष्ट्रीय गंग पार्क, वन्यजीव अभयारण्य एवं वाण परियोजना क्षेत्रों में वन्य जीवों की उपज की प्राथमिकता के महत्व नजर रखते हुए चुनाव ड्रूटी से वाहन एवं फील्ड स्टाफ को मुक्त रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

निर्देशित विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक 8 (13)निर्देश / 2009/4101 दिनांक 04.08.2018 द्वारा वन विभाग के फील्ड स्टाफ (Territorial Staff) को चुनाव कार्य हेतु अधिनियमित नहीं किए जाने की भी निर्देशित किया गया है। विभाग में वर्तमान में कुल 4467 स्वीकृत वन्यक्ष की पदों के विरुद्ध कुल कुल 2509 वर्तमान में कार्यरत है एवं शेष का 45 प्रतिशत है। चुनाव में वाहन के कारण वन्यक्ष का अधिकतम प्रति कांड की बढ़त एवं रूट्टी की समस्या बनी हो रही है। वन्यक्षों को चुनाव ड्रूटी में लागू की जाने पर वनों के संरक्षण पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में वन्यक्षों को चुनाव ड्रूटी हेतु मिलने वाला आज्ञा भविष्य में समस्या नही हो सकेगा।

संलग्न :- उपवायुसार

श्रद्धांजलि,

(धीरें-रायकड़ी)

प्रधान मुख्य वन संस्थान (HоFF)
राजस्थान जयपुर

दिनांक

क्रमांक एफ 6(93)2014 / कार्मिक / प्रमुखसं / प्रतिग्रंथी निर्देशित को सुरक्षित एवं आवश्यक कायम करें हेतु प्रतिष्ठित है :-

1. मुख्य निर्देशक आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
2. सभी सहभागी मुख्य वन संस्थाओं को ही जाकर लें कि सहभागी निर्देशक नियुक्ति को नामांकन करने राजस्थान आयुक्त को उपलब्ध कराने का भर्ती करें।
3. सूचित राजस्थान सरकार, वन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. प्रभारी क्रममें सेतु विभाग कार्य को ही जाकर लें कि उपरोक्त विभागीय वेब साइट पर अपलोड करे।
निम्नलिखित,
महानिदेशक पुलिस,
प्रशासन, कानून- व्यवस्था
राजस्थान जयपुर।

विषय : पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 डस्टूटी हेतु जापा भज्जवाने बाबत।

कार्मिक/प्रमुखस्/8371 दिनांक 13.01.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार संदर्भित पत्रों के क्रम में एवं आपसे हुई दूरभाष वातां के क्रम में निर्देशन है कि आपके संबंधित पत्र द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 में डस्टूटी हेतु 1000 वनस्पति उपलब्ध कराने हेतु जिलेश्वर सुधी चाही गई थी। जो परिस्थिति के कारण अनुमति संदर्भ मानने है।

वन्यजीवी क्षेत्रों में अविभक्त चिकित्सा एवं मानव वन्यजीव संघर्ष की संरक्षण हेतु पहले से ही स्टाफ की अत्यधिक कमी है। भारत सरकार चुनाव आयोग के पत्र क्रमांक 437–6/98– प्रव.एल.एल.-ए दिनांक 30.01.1998 द्वारा वन्यजीव सैनिक, राष्ट्रीय अभयारण्य एवं राष्ट्रीय गैम पार्कस, वन्यजीव अभयारण्य एवं वाणी परियोजना क्षेत्रों में वन्य जीवों की सुरक्षा की प्राथमिकता के महत्व नजर रखते हुए चुनाव डस्टूटी से वाहन एवं फोर्ड स्टाफ को मुक्त रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

निर्देशानुसार विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक एक 8 (1)/(2)निर्देश /2009/4101 दिनांक 04.08. 2018 द्वारा वन विभाग के फील्ड स्टाफ (Territorial Staff) को चुनाव कार्य हेतु अन्तर्गतित नहीं किए जाने का भी निर्देश दिया गया है। विभाग में वर्तमान में कुल 4467 स्वीकृत वनस्पति के पदों के विरुद्ध कुल 2509 वर्तमान में कार्यरत हैं एवं शेष पट्ट पर 1958 रिटर्न चल रहे हैं। जो स्वीकृत रहते हैं का 45 प्रतिशत है।

चुनावी महासचिव के कारण विभिन्न वन क्षेत्रों में वन भूमि पर अतिक्रमण, अवध नकारात्मक एवं अवध खातन की घटनाएं नियामक बनाने की समाप्ति बन रही है। वनस्पति को चुनाव डस्टूटी में लगाये जाने पर वनों के संरक्षण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में वनस्पति को चुनाव डस्टूटी हेतु निजी जना भविष्य में समर्पित नहीं हो सकेगा।

संलग्न :- उवाचारपुराण

भव्यीय,

(वी.वी.सेढई)
प्रधान मुख्य वन संस्थान (HoFF)
राजस्थान जयपुर।

---

निम्नलिखित निर्देशित को सूचनारूप वा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :-
1. वन्य निर्माण अधिकारी, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त समागमी मुख्य वन संस्थागणों की दी जाती लेखा है कि संलग्न परिषद के अनुसार विलेख बनाने को नामानुसार सूची पुलिस अधिकारी को उपलब्ध कराने का श्रेणी करने।
3. संदर्भ पाठ्य विभाग, विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. अध्यक्ष कम्प्यूटर सेंटर कार्यलय हाजी को दी जाती लेखा है कि उक्त सूचना विभागीय भैंस लाइट पर आगाज दे।
<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.नं.</th>
<th>नाम</th>
<th>पिला</th>
<th>नाम का पक्षल कार्यालय</th>
<th>पुनरारोपण करने हेतु लगाये जाने वाले यानिकों की संख्या</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>अलमेर</td>
<td>उप वन संख्या अलमेर</td>
<td>35</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>अलमेर</td>
<td>उप वन संख्या अलमेर</td>
<td>15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>भलपुर</td>
<td>उप वन संख्या भलपुर</td>
<td>25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>भुजपौड़ी</td>
<td>उप वन संख्या भुजपौड़ी</td>
<td>25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>बांसवाड़ा</td>
<td>उप वन संख्या बांसवाड़ा</td>
<td>35</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>बांसवाड़ा</td>
<td>उप वन संख्या बांसवाड़ा</td>
<td>25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>बीलवाड़ा</td>
<td>उप वन संख्या बीलवाड़ा</td>
<td>35</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>विलोहिगढ़</td>
<td>उप वन संख्या विलोहिगढ़</td>
<td>35</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>प्रहालिगढ़</td>
<td>उप वन संख्या प्रहालिगढ़</td>
<td>50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>पुर</td>
<td>उप वन संख्या पुर</td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>बौलपुर</td>
<td>उप वन संख्या बौलपुर</td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>अंगरागूर</td>
<td>उप वन संख्या अंगरागूर</td>
<td>25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>दीसा</td>
<td>उप वन संख्या दीसा</td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>बी हंगालाद</td>
<td>उप वन संख्या बी हंगालाद</td>
<td>30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>जवापुर</td>
<td>उप वन संख्या जवापुर (उत्तर)</td>
<td>25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>कोटा</td>
<td>उप वन संख्या कोटा</td>
<td>40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>जोपुर</td>
<td>उप वन संख्या जोपुर</td>
<td>30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>जाईलगढ़</td>
<td>उप वन संख्या जाईलगढ़</td>
<td>15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>जालताबाड़</td>
<td>उप वन संख्या जालताबाड़</td>
<td>30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>भुजनू</td>
<td>उप वन संख्या भुजनू</td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>जालिर</td>
<td>उप वन संख्या जालिर</td>
<td>30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>नागीर</td>
<td>उप वन संख्या नागीर</td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>माली</td>
<td>उप वन संख्या माली</td>
<td>15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>बस्टाली</td>
<td>उप वन संख्या बस्टाली</td>
<td>25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>बस्टाली</td>
<td>उप वन संख्या बस्टाली</td>
<td>25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>बस्टाली</td>
<td>उप वन संख्या बस्टाली</td>
<td>25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>टैंक</td>
<td>उप वन संख्या टैंक</td>
<td>15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>तदपुर</td>
<td>उप वन संख्या तदपुर (उत्तर)</td>
<td>35</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>बीकानेर</td>
<td>उप वन संख्या बीकानेर</td>
<td>15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>बार</td>
<td>उप वन संख्या बार</td>
<td>55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>हंगनामागड़</td>
<td>उप वन संख्या हंगनामागड़</td>
<td>15</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

योग 1000